पत्रांक– SUDA/AMRUT 2.0/SJKVY office Talab/Dhanwar/81/2026/UDHD/...74

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सुनील कुमार, भा.प्र.से.,
सरकार के प्रधान सचिव।

प्रशासनिक स्वीकृति

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 31/08/26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्त्तन मिशन 2.0 (AMRUT 2.0) अंतर्गत धनवार नगर पंचायत क्षेत्र में SJKVY office के नजदीक तालाब (वार्ड सं० 02) जीर्णोद्धार योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कुल प्राक्कलित राशि 1,34,29,500/– (एक करोड़ चौंतीस लाख उन्तीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्त्तन मिशन 2.0 (AMRUT 2.0) अंतर्गत धनवार नगर पंचायत क्षेत्र में SJKVY office के नजदीक तालाब (वार्ड सं० 02) जीर्णोद्धार योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कुल प्राक्कलित राशि 1,34,29,500/– (एक करोड़ चौंतीस लाख उन्तीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना हेतु कुल राशि 1,34,29,500/– रू० के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है:–

Sl. No.	Item Description	Amount (In Rupees)
I	Pond Rejuvenation	50,76,700.00
II	Ghat Prepration (30 m length)	9,34,800.00
III	Toilet Blocks	14,93,600.00
IV	Horticultural works	8,06,200.00
V	Open Gym and Guard Wall	25,56,700.00
A	Cost of Construction (I to V)	1,08,68,000.00
B	GST 18% of A	19,56,240.00
C	**Cost of Construction with GST (A+B)**	**1,28,24,240.00**
D	Labour Cess 1% of C	1,28,242.00
E	Contingency	1,14,152.00
F	Consultancy & PMC fees	3,62,866.00
G	**Total Project Cost CAPEX (C+D+E+F)**	**1,34,29,500.00**

3. योजना लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित मदों से किया जायेगा:–

(Amount In Rs.)

Name	Project Cost (CAPEX)	Cost Distribution (CAPEX)	
		Central Share (50%)	State Share (50%)
Talab Near SJKVY office (Ward no. 02)	1,34,29,500.00	67,14,750.00	67,14,750.00

4. अमृत 2.0 मिशन दिशा–निर्देशिका के कंडिका 5 के उप कंडिका 5.4 में योजनाओं हेतु वित्त पोषण अनुपात निर्धारित है, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु CAPEX में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% निर्धारित है।

उक्त के आलोक में SJKVY office के नजदीक तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल CAPEX राशि 1,34,29,500/– रू० में से राशि 67,14,750/– रू० का वहन अमृत 2.0 के केन्द्रांश मद की राशि से किया जायेगा एवं राशि 67,14,750/– रू० का वहन अमृत 2.0 के राज्यांश मद से किया जायेगा।

74
31/08/26

5. धनवार नगर पंचायत के पत्रांक 618 दिनांक 06.09.2025 द्वारा उक्त तालाब का जीर्णोद्धार कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निकाय के पत्रांक 772 दिनांक 18.07.2026 एवं पत्रांक 882 दिनांक 14.08.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त तालाब का स्वामित्व गैर खास सरकारी है एवं इसका सार्वजनिक उपयोग किया जाता है। साथ ही निकाय के दखल–कब्जा में है।

6. उक्त तालाब का जीर्णोद्धार कार्य धनवार नगर पंचायत द्वारा कराया जायेगा। निकाय द्वारा Online माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के तहत् निविदा आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा का निष्पादन ससमय करते हुए कार्य आवंटित किया जायेगा एवं योजना का क्रियान्वयन ससमय पूर्ण कराया जायेगा।

7. निकाय द्वारा उक्त तालाब का जीर्णोद्धार कार्य तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अनुसार झारखण्ड लोक निर्माण संहिता के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में कराया जायेगा।

8. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध जमीन/भूमि का ब्यौरा निम्नवत् है:–

नाम	क्षेत्रफल	विवरणी
SJKVY office के नजदीक तालाब (वार्ड सं० 02)	2.15 एकड़	मौजा–बुधवाडीह, थाना सं० 211, खाता सं० 19, प्लॉट सं० 237 एवं 238, वार्ड सं० 02, SJKVY office के नजदीक

9. निकाय द्वारा योजना कार्यान्वयन से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग/राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प, विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी मार्ग दर्शन के आलोक में किया जाएगा।

11. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत 2.0 अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु प्राप्त राशि का व्यय अमृत 2.0 योजना के State Nodel Agency, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से SNA SPARSH प्रणाली द्वारा किया जायेगा। इस हेतु Reserve Bank of India में वित्त विभाग, झारखण्ड के माध्यम से खाता खोला गया है, जिससे उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन किया जायेगा।

12. अमृत 2.0 अंतर्गत प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की दिनांक 07.05.2026 को आहूत बैठक में उक्त योजना की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

13. अमृत 2.0 अंतर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड के अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) की दिनांक 13.05.2026 को आहूत बैठक में उक्त योजना को अनुमोदित किया गया है।

14. अमृत 2.0 अंतर्गत सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्षता में गठित Apex Committee की दिनांक 10.06.2026 को आहूत बैठक में उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

15. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

16. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT 2.0/SJKVY office Talab/Dhanwar/81/2026/UDHD/74 राँची, दिनांक– 31/08/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/उपायुक्त, गिरिडीह/कार्यपालक पदाधिकारी, धनवार नगर पंचायत/श्री उत्कर्ष कुमार, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।